प्रेषक,

निदेशक / एस0एल0एन0ए0,
नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0,
8 वॉ तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
मऊ / उन्नाव / गाजीपुर / बुलन्दशहर / जौनपुर / सम्भल / ललितपुर / बस्ती / बलिया / मिर्जापुर / मैनपुरी / लोनी / आजमगढ़ / फैजाबाद एवम् इटावा।

पत्रांक : पी0एम0यू0 / 1302 / 349(2) CSP / 2014 लखनऊ : दिनांक 8 जनवरी, 2015

विषय : सिटी सैनीटेशन प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक–पीएमयू / 957 / सी0एस0पी0 / 349(2) / 2014, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014, का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें (प्रतिलिपि संलग्न) जिसके द्वारा सिटी सैनीटेशन प्लान बनाए जाने सम्बन्धित अद्यतन स्थिति से अवगत कराने तथा सिटी सैनीटेशन प्लान को शीघ्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, जो अभी तक अपेक्षित है।

मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार के "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की नेशनल अर्बन सैनीटेशन पॉलिसि (NUSP) के अनुसार सभी नगर निकायों द्वारा सिटी सैनीटेशन प्लान तैयार किया जाना है। आप अवगत हैं कि सिटी सैनीटेशन प्लान बनाये जाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा रहे सिटी सैनीटेशन प्लान सम्बन्धित प्रस्तावों के सम्बन्ध में वित्तीय धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है–

1- Approval of Proposal by Sanctioning Committee of Govt of India 30%
2- Formation of City Sanitation Task Force, Base line Survey and completion of Draft City Sanitation Plan- 50%
3- Final City Sanitation Plan and Impact Assessment- 20%

सिटी सैनीटेशन प्लान हेतु चयनित की गई कार्यदायी संस्था को जारी कार्यादेश की तिथि से समस्त चरण नौ माह में पूर्ण किये जाने है। अतः कार्यदायी संस्था का चयन कराते हुये समस्त कार्यवाही निर्धारित समय सीमा मे कराई जाये।

संलग्न तालिका में आपकी निकाय द्वारा सिटी सैनीटेशन प्लान बनाये जाने हेतु कृत कार्यवाही की स्थिति दर्शायी गयी है। तद्नुसार सिटी सैनीटेशन प्लान बनाये जाने के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुए, अद्यतन स्थिति से प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराने तथा समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा सिटी सैनीटेशन प्लान बनवाकर प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय,

(पी0 के0 सिंह)
निदेशक / एस0एल0एन0ए0

<u>प्रतिलिपि</u>

1. सचिव, नगर विकास विभाग (अनुभाग–1), उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. एम0आई0एस0 (पीएमयू), को इस आशय से प्रेषित कि इसे निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(पी0 के0 सिंह)
निदेशक / एस0एल0एन0ए0

A.G

S.No	Name of City	Nomination of Nodal Officer	Formation of Core team under E.O	Formation of CSP task force under chairman	Agreement signed with the consultant	Base line data collection house hold survey	Stake holders workshop	Draft City Sanitation Plan	discussion with council and stakeholders	Final CSP	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mau	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	No	
2	Unnao	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	
3	Ghazipur	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
4	Bulandshar	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
5	Jaunpur	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	No	
6	Sambhal	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	
7	Lalitpur	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	
8	Basti	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	
9	Ballia	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
10	Mirzapur	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
11	Manpuri	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
12	Loni	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
13	Azamgarh	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
14	Faziabad	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
15	Etawah	No	No	No	No	No	No	No	No	No	

प्रेषक,

निदेशक / एस0एल0एन0ए0,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0,
8वॉं तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
मऊ/बलिया / गाजीपुर / मिर्जापुर / जौनपुर / उन्नाव / मैनपुरी / लोनी / बुलन्दशहर / ललितपुर / बस्ती / सम्भल / आजमगढ़ / फैजाबाद तथा इटावा।

द्वारा जिलाधिकारी

संख्याः–पी0एम0यू0 / 957 / सी0एस0पी0 / 349(2) / 2014 लखनऊः दिनांक 1 अक्टूबर, 2014

विषयः–सिटी सैनीटेशन प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–पीएमयू / 1575 / सी.एस.पी. / 349(2) / 2013, दिनांक 01.01.2014 एवम् पत्र संख्या–पीएमयू / 1576 / सी.एस.पी. / 349(2) / 2013, दिनांक 01.01.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सिटी सैनीटेशन प्लान से सम्बन्धित कतिपय बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी, जो कि अभी तक अप्राप्त है।

सिटी सैनीटेशन के उच्चीकरण हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल अर्बन सैनीटेशन पॉलिसी कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी नगर निकायों द्वारा सिटी सैनीटेशन प्लान तैयार किया जाना है। सिटी सैनीटेशन प्लान बनाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मदद भी उपलब्ध करायी जा रही है। नेशनल अर्बन सैनीटेशन पॉलिसी की गाइड लाइन के अनुसार सिटी सैनीटेशन प्लान निम्नलिखित चरणों में पूर्ण की जानी हैः–

1. Baseline Data Collection & Household Survey
2. Situtaion & Option Analysis
3. Consultaion with Stakeholders and workshop
4. Draft City sanitation Plan
5. Discussion with Council and Stakeholders
6. Final City Sanitation Plan

आप के नगर निकाय द्वारा सिटी सैनीटेशन प्लान बनाये जाने हेतु निकाय स्तर पर निम्नलिखित कार्यवाहियॉं पूर्ण की जा चुकी है हैः–

- सी0एस0पी0 (सिटी सैनीटेशन प्लान) नोडल अधिकारी का नामांकन।
- अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में कोर टीम का गठन।
- Monitoring & Evaluation हेतु चेयरमैन की अध्यक्षता में सिटी सैनीटेशन टास्क फोर्स का गठन।

उपरिसंदर्भित पत्र संख्या–पीएमयू / 1575 / सी.एस.पी. / 349(2) / 2013, दिनांक 01.01.2014 एवम् पत्र संख्या–पीएमयू / 1576 / सी.एस.पी. / 349(2) / 2013, दिनांक 01.01.2014 की छायाप्रतियॉं इस आशय से पुनः संलग्न करते हुये प्रेषित की जा रही है, कि एक सप्ताह में वांछित बिन्दुओं के सन्दर्भ मे आवश्यक आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था को यथा आवश्यक सूचनाएं एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए आगामी दो माह में ड्राफ्ट / फाइनल सिटी सैनीटेशन प्लान तैयार कराना सुनिश्चित करें।

सिटी सैनीटेशन प्लान से सम्बन्धित किसी तकनीकी सुझाव एवं विचार हेतु श्री अनूप द्विवेदी, एमआईएस एक्सपर्ट (मो0 नं0–8090098851, ई–मेल misexpertpmu@gmail.com) से भी सम्पर्क किया जा सकता है। प्रकरण में समयबद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पी0 के0 सिंह)
निदेशक।

प्रेषक,

निदेशक / एस0एल0एन0ए0,
नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0,
8 वॉ तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
गोण्डा / हापुड़ / फतेहपुर / उरई / मुजफ्फरनगर / अमरोहा / एटा / देवरिया / हाथरस / शाहजहांपुर / बांदा / बहराइच / रामपुर / सुल्तानपुर / पीलीभीत / रायबरेली / मोदीनगर / हरदोई / बदायूं / फिरोजाबाद / चन्दौसी / फर्रूखाबाद एवम् सीतापुर।

पत्रांक : पी0एम0यू0 / 1301 / 349(2) CSP / 2014 लखनऊ : दिनांक 8 जनवरी, 2015

विषय : सिटी सैनीटेशन प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक–पीएमयू / 958 / सी0एस0पी0 / 349(2) / 2014, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा नगर की सिटी सैनीटेशन प्लान बनाए जाने के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में आख्या उपलब्ध कराने तथा सिटी सैनीटेशन प्लान बनाकर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी जो अभी तक अप्राप्त है।

मा0 प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की नेशनल अर्बन सैनीटेशन पॉलिसी (NUSP) के अनुसार सभी नगर नेकायों द्वारा सिटी सैनीटेशन प्लान बनाया जाना है। आप अवगत हैं कि सिटी सैनीटेशन प्लान बनाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा रहे सिटी सैनीटेशन प्लान सम्बन्धित प्रस्तावों के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है–

1-	Approval of Proposal by Sanctioning Committee of Govt of India	30%
2-	Formation of City Sanitation Task Force, Base line Survey and completion of Draft City Sanitation Plan-	50%
3-	Final City Sanitation Plan and Impact Assessment-	20%

सिटी सैनीटेशन प्लान हेतु चयनित की गई कार्यदायी संस्था को जारी कार्यादेश की तिथि से समस्त चरण नौ माह में पूर्ण किये जाने है। अतः कार्यदायी संस्था का चयन करते हुये समस्त कार्यवाही निर्धारित समय सीमा मे कराई जाये।

उल्लेखनीय है कि सिटी सैनीटेशन प्लान बनाए जाने हेतु निदेशालय स्तर से अनेको बार जारी निर्देशों के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से भी निदेशालय को अवगत नही कराया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि सिटी सैनीटेशन प्लान की योजनाओं का क्रियान्वयन पूरे उत्तर प्रदेश एवम् देश में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं वर्षगाठ 02 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

अतः इस कार्यालय के पूर्व में जारी पत्र संख्या–पीएमयू / 958 / सी0एस0पी0 / 349(2) / 2014, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 की छायाप्रति संलग्न कर पुनः इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुये संलग्नक प्रपत्र पर अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये प्रपत्र के कॉलम 12 में सिटी सैनीटेशन प्लान उपलब्ध कराने की सम्भावित तिथि से भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पी0 के0 सिंह)
निदेशक / एस0एल0एन0ए0

प्रतिलिपि

1. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग (अनुभाग–1), उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. एम0आई0एस0 (पीएमयू), को इस आशय से प्रेषित कि इसे निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(पी0 के0 सिंह)
निदेशक / एस0एल0एन0ए0

A.G

S.No	Name of City	Nomination of Nodal Officer	Formation of Core team under E.O	Formation of CSP task force under chairman	Agreement signed with the consultant	Base line data collection house hold survey	Stake holders workshop	Draft City Sanitation Plan	discussion with council and stakeholders	Final CSP	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रेषक,

निदेशक / एस0एल0एन0ए0,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0,
8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
गोण्डा / हापुड़ / फतेहपुर / उरई / मुजफ्फरनगर / अमरोहा / एटा / देवरिया / हाथरस / शाहजहाँपुर / बाँदा / बहराइच / रामपुर / सुल्तानपुर / पीलीभीत / रायबरेली / मोदीनगर / हरदोई / बदॉयू / फिरोजाबाद / चन्दौसी / फर्रूखाबाद तथा सीतापुर।

द्वारा जिलाधिकारी

संख्याः–पी0एम0यू0 / [illegible] / सी0एस0पी0 / 349(2) / 2014

लखनऊः दिनांक [illegible] अक्टूबर, 2014

विषयः–सिटी सैनीटेशन प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–पीएमयू / 1575 / सी.एस.पी. / 349(2) / 2013, दिनांक 01.01. 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सिटी सैनीटेशन प्लान से सम्बन्धित कतिपय बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी, जो कि अभी तक अप्राप्त है।

सिटी सैनीटेशन के उच्चीकरण हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल अर्बन सैनीटेशन पॉलिसी कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी नगर निकायों द्वारा सिटी सैनीटेशन प्लान तैयार किया जाना है। सिटी सैनीटेशन प्लान बनाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मदद भी उपलब्ध करायी जा रही है। नेशनल अर्बन सैनीटेशन पॉलिसी की गाइड लाइन के अनुसार सिटी सैनीटेशन प्लान निम्नलिखित चरणों में पूर्ण की जानी हैः–

1. Baseline Data Collection & Household Survey
2. Situtaion & Option Analysis
3. Consultaion with Stakeholders and workshop
4. Draft City sanitation Plan
5. Discussion with Council and Stakeholders
6. Final City Sanitation Plan

विदित है कि सिटी सैनीटेशन प्लान बनाये जाने हेतु निदेशालय स्तर से कई बार दिशा निर्देश निर्गत करने के बाद भी निकाय स्तर पर न तो कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है, और न ही इस सम्बन्ध में की गयी अद्यतन कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत ही कराया जा रहा है।

उपरिसंदर्भित पत्र संख्या–पीएमयू / 1575 / सी.एस.पी. / 349(2) / 2013, दिनांक 01.01.2014 की छायाप्रति इस आशय से पुनः संलग्न करते हुये प्रेषित की जा रही है, कि एक सप्ताह में निम्नलिखित बिन्दुओं के सन्दर्भ में आवश्यक आख्या उपलब्ध कराने के साथ–साथ आगामी 2 माह में ड्राफ्ट / फाइनल सिटी सैनीटेशन प्लान तैयार कराना सुनिश्चित करें :–

- सी0एस0पी0 (सिटी सैनीटेशन प्लान) नोडल अधिकारी नामित करने के सम्बन्ध में।
- अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में कोर टीम गठित करने के सम्बन्ध में।
- Monitoring & Evaluation हेतु चेयरमैन की अध्यक्षता में सिटी सैनीटेशन टास्क फोर्स का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।
- सिटी सैनीटेशन प्लान तैयार किये जाने के सन्दर्भ में की गयी बैठकों (सिटी सैनीटेशन टास्क फोर्स तथा कोर टीम) का कार्यवृत्त सहित विवरण।
- सिटी सैनीटेशन प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में कन्सलटेन्ट का चयन।
- बेस लाइन डेटा कलेक्शन एवं हाउस होल्ड सर्वे के सम्बन्ध में।
- सिटी सैनीटेशन प्लान को आगामी दो माह में तैयार किये जाने के सन्दर्भ में समयबद्ध कार्य योजना।
- सिटी सैनीटेशन प्लान की अन्तरिम / ड्राफ्ट / फाइनल रिपोर्ट, जैसी भी स्थिति हो, का विवरण।

सिटी सैनीटेशन प्लान से सम्बन्धित किसी तकनीकी सुझाव एवं विचार हेतु श्री अनूप द्विवेदी, एम0आई0एस एक्सपर्ट (मो0 नं0–8090098851, ई–मेल misexpertpmu@gmail.com) से भी सम्पर्क किया जा सकता है। प्रकरण में समयबद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पी0 के0 सिंह)
निदेशक।